योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण (क) जी हां।

(ख) और (ग). 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को कोई अलग केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है। इस कार्यक्रम में शामिल स्कीमें 1982-83 की वार्षिक योजनाओं का भाग है जिनके लिए केन्द्रीय सहायता सामान्य ऋणों और अनुदानों के रुप में दी जाती हे।

(घ) इस कार्यक्रम से राज्यों को प्राप्त हुए लाभों के संबंध में सूचना वर्ष 1982-83 के समाप्त होने और इस कार्यक्रम की प्रगति का समग्र मूल्यांकन किए जाने के बाद ही उपलब्ध होगी।

विज्ञान और प्रायोद्योगिकी में सहयोग के लिये भारत-रूस सम्मेलन

श्री राम अवतार शास्त्री

श्री के० मालन्ना

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के किसी करार पर भारत सरकार और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या क्या है; और

(ग) इससे भारत को क्या लाभ होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी०पी० एन सिंह): (क) और (ख). भारत व सोवियत संघ के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसी नए करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गये हैं। फिर भी आर्थिक वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग संबंधी अंतर सरकारी भारत-सोवियत आयोग की सातवीं बैठक में, जो कि इसी वर्ष सितम्बर में मास्को में हुई थी, यह तय पाया था कि निम्नलिखित क्षेत्रों में 1972 में हस्ताक्षर किए गए मौजूदा करार के अधीन सहयोग को विस्तार देने में काफी गुंजाइश है। ये क्षेत्र इस प्रकार हैं।

–लेसा

–आनुवंशिक इंजीनियरी

–प्रणाली विश्लेषण

–उच्च तापमानों और दबावों पर उपलब्ध सामग्रियों सहित सामग्री अनुसंधान तन्तु प्रकाशिकी, आदि।

(ग) ऊपरलिखित क्षेत्र हमारे देश के आर्थिक व वैज्ञानिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। उपर्युक्त क्षेत्रों में इस सहयोग से दोनों देशों के वैज्ञानिकों की आन्योन्यक्रिया विचारों और जानकारी का आदान-प्रदान व ज्ञान को साझेदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। इन से आपसी हितों के नए उन्नत ज्ञान प्राप्त किए जा सकेंगे।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

602. **श्री रामअवतार शास्त्री**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान के रूप में 500 रूपये मासिक पेंशन देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए क्या मान दण्ड निर्धारित किया गया है; और

(ग) अब तक कितने स्वतंत्रता सेनानियों को 500 रुपये प्रति मास की पेंशन दी गई है?

ग्रह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना जो पहले स्वतंत्रता सैनिक पेंशन योजना के नाम से ज्ञात थी में 1880 से 300/–रुपये प्रतिमास की दर से पेंशन की व्यवस्था है। बढ़ी हुई पेंशन देने के लिए कोई सामान्य निर्णय नहीं किया गया है। किन्तु सामान्य राशि से अधिक पेंशन अन्य बातों के साथ-साथ आवेदक की यातनाओं, वृद्ध-अवस्था, परिवार के दायित्वों और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार के स्वनिर्णय से बहुत कम और किसी मामले में स्वीकृत की जाती है। मासिक पेंशन की राशि प्रत्येक अवस्था में उसके गुणदोष के आधार पर निश्चित की जाती है और अब तक स्वीकृत की गई उच्चतम राशि 500–रु० प्रतिमास है। स्वतंत्रता सैनिक पेंशन योजना के शुरु होने के गत 10 वर्षों के दौरान बढ़ी हुई पेंशन अब तक योजना के अन्तर्गत 123861 लाभ प्राप्तकर्ताओं में से 38 व्यक्तियों से अधिक को स्वीकृत नहीं की गई है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से आतंकवादियों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक

603. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किए जाने के बाद आतंकवादियों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगी है

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधिनियमित होने से राज्य सरकार को आतंकवादी और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कारगर कार्यवाई करने में मदद मिलेगी।

लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना

604. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1.15 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया और निर्णय के बाद राजस्थान के किन-किन जिलों में खासतौर से पाली जिले में कितने व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है, उन्हें क्या रोजगार सुलभ कराया गया है और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ख) उन मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए हैं, जिनका पेशा लगभग समाप्त हो गया है और पाली जिले में जिनकी संख्या 10,000 है तथा क्या उन्हें रोजगार देने हेतु कोई योजना बनाई गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) छठी पंचवर्षीय योजना में 10.17 करोड़ लोगों को गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने का प्रयत्न किया गया है। इसका वार्षिक औसत लगभग 2.03 करोड़ होता है, 1.15 करोड़ नहीं। राज्यवार और जिलेवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं!

(ख) जिलेवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

Problems of the Coir Industry of Kerala

605. SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the problems faced by the Coir Industry of Kerala;